**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या : 47 / 2017
RCMS Case No. 2017/00325

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1 पुकाराम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल निवासी पाली दरवाजा, धीनावास रोड़, सोजत सिटी | | 1 हरिकिशन पुत्र पारसराम जाति<br>2 ओमप्रकाश पुत्र पारसराम जातिगण कुम्हार निवासीगण नयापुरा, थाने के पास सोजत सिटी<br>3 जयलाल पुत्र जुगराज जाति शर्मा शाकलद्वीप ब्राहम्ण निवासी सोजत सिटी जिला पाली<br>4 कानसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति चारण निवासी चारणों का बेरा, रेन्दड़ी रोड़, सोजत सिटी<br>5 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जाडन खालसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन<br>6 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री गोरादान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर ग्राम बासनी भदावता के नामान्तरकरण संख्या 43 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 16.01.1983 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बासनी भदावता के खसरा नम्बर 23 रकबा 1.78 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 21 रकबा 1.05 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। उक्त भूमि में आवागमन का रास्ता खसरा नमबर 24 में से है, जो रास्ता सोजत से बासनी भदावता से होता हुआ खारियासोड़ा एवं मारवाड़ जक्शन जाता है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 24 में से 10 बीघा भूमि पारसराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार को आवंटन दर्शाते हुए जैर अपील

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। वास्तविक रूप से आवंटन तो खसरा नम्बर 12 में किया गया, किन्तु इसका नामान्तरकरण खसरा नम्बर 24 में से दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम पारसराम के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से जैर अपील विवादित आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया। इस हेतु अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज़ योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा इसी भूमि को लेकर पूर्व में आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो खारिज़ किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 28/2012 थे, जिसका निर्णय दिनांक 27.02.2018 को हो चुका है। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड सहित जैर अपील नामान्तरकरण की प्रति भी प्रस्तुत की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2012 में ही हो चुकी थी। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा जानकारी के 5 वर्ष पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने से खारिज़ योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अपील को मियाद में शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया है, जो अपील को मियाद में शुमार करवाने में सहायक हो। इस प्रकार अपील मियाद बाहर हो। जैर अपील नामान्तरकरण आवंटन आदेश की पालना में दायर किया गया है, जो विधि सम्मत है। जब तक उक्त आवंटन को अपास्त नहीं किया जाता, तब तक उक्त आवंटन आदेश की पालना में दायर नामान्तरकरण को भी विधि अनुसार अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम बिन्दु यह प्रकट होता है कि अपील परिसीमा से बाधित होने से स्वीकार योग्य है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में प्रकरण का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि इसी भूमि को लेकर पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रकरण संख्या 28/2012 दायर होकर दिनांक 27.02.2018 को निर्णित हुआ था, जिसमें प्रार्थना पत्र को खारिज़ किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी अपीलाण्ट को वर्ष 2012 में ही हो चुकी थी, जिसके 5 वर्ष पश्चात यह अपील दायर करवाई गई है, जो स्पष्टयात मियाद बाहर है। उक्त अवधि को कण्डोन कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट

अति० जिला कलक्टर, पाली

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता पारसराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार को आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर कैम्प खारिया सोड़ा में दिनांक 10.05.1976 को ग्राम बासनी भदावता के खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन की पालना में जो नामान्तरकरण दायर किया है, उसमें खसरा नम्बर 24 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै0मु0 गोवा में से 10 बीघा भूमि कम करते हुए खसरा नम्बर 24/1 रकबा 10 बीघा के रूप में पारसराम के नाम नामान्तरकरण दायर कर दिया है, जबकि खसरा नम्बर 24 में से भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ था। इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से दायर कर स्वीकृत किया गया है, जिसे कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बासनी भदावता के नामान्तरकरण संख्या 43 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 16.01.1983 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली